

<p>तारीख हुकम</p>	<p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू सरकार जरिये मू अगिलेख तहसीलदार झुंझुनू बाबत रास्ते संबंधी अभियान 2018 प्रकरण संख्या 48 / 2018</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी</p>
<p>31.07.2018</p>	<p>आज तहसीलदार (भू.अ.) झुंझुनू द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान 2018 के अन्तर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता का प्रस्ताव पेश कर निवेदन किया कि पटवार मण्डल प्रतापपुरा के राजस्व ग्राम सोती से ईशरपुरा की सीमा तक जाने वाला रास्ता खसरा न. 53, 85, 86, 87, 423/489, 421/89, 92, 95 में स्थित है कि सर्वे रिपोर्ट नक्शा ट्रेस व जमाबंदी संलग्न कर रास्ते हेतु उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज किये जाने की अभिशंका की है। प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार मौके पर रास्ता चालू होना मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी/गिरदावर से साबित है। अतः तहसीलदार झुंझुनू की अभिशंका अनुसार राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिपेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>तहसीलदार झुंझुनू का आवेदन पत्र उक्त विवेचन के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव के अनुसार वर्णित खसरा नम्बरों के विरुद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो मुताबिक प्रस्ताव के राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज करें। प्रस्ताव आदेश का भाग रहेगा। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">(अलका विश्वा) उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू (राज.)</p>	